रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2004/भाद्र 11, 1926
No. 764] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2004/BHADRA 11, 1926

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2004

### आय-कर

**का.आ. 980(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 28कख के उपनियम (2) में "उपनियम(2)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपनियम (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 237/2004/फा. सं. 149/128/2004-टीपीएल]

दीपिका मित्तल, अवर सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 812(अ), तारीख 14-7-2004 द्वारा संशोधित किया गया था।

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

नियम 28कख ऐसे व्यक्तियों की दशा में, स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है, जिसकी आय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, कर से छूट दी गई है और जिनसे आय-कर अधिनियम की उपधारा (4क) और उपधारा (4ग) के उपबंधों के अधीन आय-कर विवरणियां फाइल करना अपेक्षित है। उक्त नियम का उपनियम (1) ऐसे व्यक्तियों के लिए उपबंध करता है जो उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, धारा 197 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसे आवेदन फाइल कर सकते हैं।

उक्त नियम के उपनियम (2) को उपधारा (2) की बजाय उपधारा (1) का निर्देश करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपनियम के प्रस्तावित संशोधन पर भूतलक्षी प्रभाव किसी निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।